न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ

02/18

02–01–19

मुकदमा अपराध सं0 **611/18** अं0 धारा– 411,414 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त **समीर उर्फ आरिफ** द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 05–12–18 से जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त पर चोरी के मोबाइल बरामदगी का आरोप है तथा अभियुक्त पर 11 मुकद्मा का आपराधिक इतिहास भी दर्शित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **समीर उर्फ आरिफ** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूवोत्तर रेलवे लखनऊ

22—11—16

मुकदमा अपराध सं0 451/16 अं0 धारा— 380,411 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त शमशुद्दीन द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 03—11—16 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा के ट्रेन पर चढ़ते समय उसकी जेब काटकर नकद रूपये तथा अन्य सामान चोरी कर लिया जो दिंनाक 2—11—16 को उसके कब्जे से बरामद होने का आरोप है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि संबन्धित थाने द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी दर्शित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है।जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शमशुद्दीन का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजि0
उत्तर रेलवे,लखनऊ

एस.के.श्रीवास्तव

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूवोत्तर रेलवे लखनऊ

30–1–17

मुकदमा अपराध सं0 343/16 अं0 धारा–419,420,467,468,471 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त संजय कुमार साह द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 28–1–17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त पर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र के द्वारा वेडिंग कराये जाने का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय तथा आजीवन कारावास से दंडनीय है।जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त संजय कुमार साह का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजि0
उत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ

22—2—17

मुकदमा अपराध सं0 26/17 अं0 धारा— 411,414,420 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त शारदानन्द द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 22—1—17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के कब्जे से दूसरे व्यक्तियों की बैंक जमापर्ची,चेकबुक, व पर्स तथा रक्तचाप नापने की मशीन बरामद किया तथा उस पर लोगों से छल कारित करके नौकरी दिलाने व विदेश भेजने का झांसा देकर ब्लैंक चेक लेने तथा पैसे खाते से निकालने का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है।जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शारदानन्द का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
<u>पूवोत्तर रेलवे लखनऊ</u>

<u>07—3—17</u>

मुकदमा अपराध सं0 530/16 अं0 धारा— 380,411 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ मंगल सिंह द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 01—1—17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा का मोबाईल फोन तथा रूपये चोरी करने तथा उसके कब्जे से चोरी के मोबाईल फोन बरामद किए जाने का आरोप है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है संबन्धित थाने द्वारा अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास भी दर्शित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है।जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश
——————

अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ मंगल सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
<u>पूवोत्तर रेलवे लखनऊ</u>

<u>15—5—17</u>

मुकदमा अपराध सं0 1294/17 अं0 धारा— 143 रेलवे एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट लखनऊ जंक्शन के मामले में आरोपित अभियुक्तगण अभिषेक चौरसिया तथा अभिषेक साहू द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण दिंनाक 14—5—17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 20 तत्काल/सामान्य ई—टिकिट बरामद हुए है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय है।

अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश
———————

अभियुक्तगण अभिषेक चौरसिया तथा अभिषेक साहू का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजि0

पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

17–6–17

मुकदमा अपराध सं0 13/17 अं0 धारा– 3 आर0पी0यू0पी0एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट चारबाग लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त राजू मिश्रा द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण दिंनाक 14–6–17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

थाने की आख्या अनुसार अभियुक्त के कब्जे से गत्ते का पैकेज सुगन्धित पान मसाला रजनीगंधा बरामद हुआ है जो कि बुकशुदा परेषण रेल संपत्ति प्रतीत होती है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय है। यहॅा यह भी उल्लेखनीय है कि संबन्धित थाने द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास इस कथन के साथ दर्शित किया गया है कि अभियुक्त एक पेशेवर अपराधी है तथा बाहर रहने पर अपराध कारित करने की पुनः संभावना है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश
––––––

अभियुक्त राजू मिश्रा का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजि0
उत्तर रेलवे,लखनऊ

29–6–17

मुकदमा अपराध सं0 1294/17 अं0 धारा–143 रेलवे एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट एन.जे.एन. लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त अरविन्द चौरसिया द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 25–6–17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त पर

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अरविन्द चौरसिया का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

कैलाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
<u>पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ</u>

<u>10—7—17</u>

मुकदमा अपराध सं0 985/17 अं0 धारा—143,145,146 रेलवे एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट लखनऊ सिटी के मामले में आरोपित अभियुक्त मो0मतीन द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त दिंनाक 07—7—17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त इमरान के साथ मिलकर रेल के आरक्षित विन्डो टिकट एवं आई.आर.सी. टी.सी. के वेबसाइटपर पर्सनल यूजरआई डी का प्रयोग करके ई—टिकट का अवैध कारोबार किए जाने का आरोप है यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पास से 18 अदद अवैध टिकट भी बरामद किए जाने का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश
——————

अभियुक्त मो0 मतीन का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

कैलाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्.तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
<u>पूवोत्तर रेलवे लखनऊ</u>

<u>18—7—17</u>

मुकदमा अपराध सं0 336/17 अं0 धारा—380,411,328,414 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त अंकज पाण्डेय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर ट्रेन में नशीला पदार्थ वादी मुकदमा को खिला दिया जिससे वह बेहोश हो गया तथा उसका ट्राली बैग जिसमें दो हजार डालर,एटीएम कार्ड,दो अदद मोबाईल तथा अन्य सामान था, चोरीकर लिये जाने का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अंकज पाण्डेय का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0

पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

12—9—17

मुकदमा अपराध सं0 07/17 अं0 धारा— 3 आर0पी0यू0पी0एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट लखनऊ जंक्शन के मामले में आरोपित अभियुक्त राहुल यादव उर्फ राहुल तोतला द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण दिंनाक 01—9—17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

जमानतप्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं कियाहै और उसके पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

थाने की आख्या अनुसार अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी किए गए 7 अदद तम्बाकू पैकेज चोरी किए जाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय है। यहॅा यह भी उल्लेखनीय है कि संबन्धित थाने द्वारा यह भी आख्या दी गयी है कि अभियुक्त रेलवे संपत्ति चोरीकरने का आदती है जिसके विरूद्ध विभिन्न आर.पी.एफ. पोस्ट पर मामले पंजीकृत है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

————

अभियुक्त राहुल यादव उर्फ राहुल तोतला का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

कैलाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

16–10–17

मुकदमा अपराध सं0 3469/17 अं0 धारा–143 रेलवे एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट लखनऊ जंक्शन के मामले में आरोपित अभियुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त दिंनाक 15–10–17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

जमानतप्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को उक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है उसके पास से कोई भी रेलवे का आरक्षित टिकट नहीं बरामद कियागया है। उसकी पत्नी विकलांग है तथा अभियुक्त स्वंय भी कुप्ठ रोग से पीड़ित है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

थाने की आख्या अनुसार अभियुक्त के पास से 28 अदद रेल आरक्षित ई–टिकट के साथ गिरफतार किया गया है उस पर रेलवे आरक्षित तत्काल/सामान्य ई–टिकटों को अनाधिकृत रूप से पर्सनल/फेक यूजर आई.डी. पर बनाकर रेल टिकटों के क्रय–विक्रय करने के अवैध कारोबार का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

कैलाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूवोत्तर रेलवे लखनऊ

27—11—17

मुकदमा अपराध सं0 578/17 अं0 धारा— 379,411 भा.दं. वि. थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त ईन्दू अंसारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी बरामद किए जाने का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है। जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश
—————

अभियुक्त ईन्दू अंसारी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
<u>पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ</u>

<u>08–1–18</u>

मुकदमा अपराध सं0 2400/17 अं0 धारा–143 रेलवे एक्ट थाना आर.पी.एफ. पोस्ट लखनऊ सिटी के मामले में आरोपित अभियुक्त गण मो0 अकील,नीरज कुमार तथा संजय कुमार द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण दिंनाक 24–12–17 से न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को उक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है उनके पास से कोई भी रेलवे का टिकट व मांगपत्र नहीं बरामद कियागया है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

थाने की आख्या अनुसार अभियुक्तगण टिकटों के अवैध कारोबार में पाये जाने पर उनकी ई–टिकटों के साथ गिरफतारी की गई। अभियुक्त मो0 अकील के पास से 52ई टिकटें तथा अभियुक्त नीरज के पास से 60 ई–टिकट तथा अभियुक्त संजय कुमार के पास से 36 ई–टिकट बरामद किया गया है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा तीन अदद डेस्कटॉप पर काम करके 52 अदद फर्जी यूजर आई.डी. से आई.आर.सी.टी.सी की वेबसाईट पर ई–टिकटें बनाकर बड़े स्तर पर अवैध व्यापार किए जाने का आरोप है।

अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय है, जिसके कारण उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मो0 अकील, नीरज कुमार तथा संजय कुमार का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

कैलाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
<u>पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ</u>

सरकार बनाम अजय कुमार शुक्ला।

पी0डब्लू02

<u>09—1—18</u>

साक्षी धनन्जय कुकरैती, पुत्र जगदीश प्रसाद कुकरैती, निवासी—ग्राम बालासौड़, थाना कोटद्वार, जिला पौढ़ीगढवाल, उत्तराखंड, वर्तमान पता—2401स्क्वायर्डन ,एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर, ने सशपथ कथन किया है कि दिंनाक 23—11—01 को मै पुश्पक एक्सप्रेस से एस—5 में 64 नंबर बर्थ से लखनउ से नासिक के लिए रवाना हुआ था। मेरा सूटकेस ट्रेन में बर्थ के उपर रखा हुआ था। मै शौच के लिए गया और जब वापस आया तो मेरा सूटकेस नहीं मिला। सूटकेस में कपड़े, पर्सनल डायरी, करीब पांच हजार रूपये नकद, आदि सामान था। मैने प्रार्थनापत्र लिखकर लखनउ जी.आर.पी. में दिया परंतु मेरा प्रार्थनापत्र नहीं लिया गया तब मैने रेलवे स्टेशन भुसावल में उतर कर वहॉ पर प्रार्थनापत्र दिया। जो पत्रावली में संलग्न है जो मेरे द्वारा लिखित व हस्ताक्षरित है। जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गया।

<u>जिरह</u>

मेरा सारा सामान सूटकेस में ही था। मेरा सूटकेस ग्रे कलर का था। मैने अपनी तहरीर में सूटकेस का कलर नहीं लिखा है। मैने सूटकेस को किसी को चोरी करते या उठाते हुए नहीं देखा था। मुझे जानकारी नहीं है कि जी.आर.पी. वालों ने मेरा सूटकेस किसी अभियुक्त से बरामद किया है। घटना के बाद से आज तक किसी दरोगा ने मेरा बयान नहीं लिया। चोरी गए सामान की तहरीर मेरे द्वारा जी.आर.पी. चारबाग को देने की कोशिश किया था परंतु मेरा प्रार्थनापत्र लिया नहीं गया था तब मैने रेलवे स्टेशन भुसावल में अपना प्रार्थनापत्र दिया था। मेरा चोरी गया सामान अभी तक मुझे नहीं मिला है। यह कहना गलत है कि जिस दिन की घटना है उस मैने कोई तहरीर नहीं दिया था।

मेरे बोलने पर अक्षरशः अंकित किया गया।

एसी.जे.एम., एन.ई.आर. लखनऊ।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ

06—2—18

मुकदमा अपराध सं0 544/18 अं0 धारा— 328,379,411 भा0दं0वि0 थाना जी.आर.पी. चारबाग जनपद लखनऊ के मामले में आरोपित अभियुक्त महेन्द्र कुमार मौर्य द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफतार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने तथा उसका स्ट्राली बैग जिसमें सोने की चेन, पैसे फोन इत्यादि सामान चुराने का आरोप है।

अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अंत्यंत गंभीर व अजमानतीय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। जिसके कारण उसे जमानत छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त महेन्द्र कुमार मौर्य का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कैलाश कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजि0
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ